

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.11(12)नविवि / कोटपूतली-बहरोड़ / 2025-14808

जयपुर, दिनांक:

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा (3) की उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान को कोटपूतली (जिला-कोटपूतली-बहरोड़) के नगरीय क्षेत्र का सिविक सर्वेक्षण करने एवं क्षितिज वर्ष 2047 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है, जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं:-

क्रम संख्या	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)
1.	केशवाना गुर्जर	KESHWANA GURJJAR
2.	केशवाना राजपूत	KESHWANA RAJPUT
3.	पनियाला	PANIYALA
4.	कालूहेड़ा	KALOOHERA
5.	गोनेड़ा	GONERA
6.	खेड़की मुक्कड़	KHERKI MUKKAR
7.	बीजाहेड़ा	BEENJAHERA
8.	सांगटेड़ा	SANGTERA
9.	बनका	BANKA
10.	गोपालपुरा	GOPALPURA
11.	नौरंगपुरा	NAVRANGPURA
12.	रामसिंहपुरा	RAMSINGHPURA
13.	खरकडी	KHARKHARI
14.	शेखुपुर	SHEKHUPUR
15.	मोलाहेड़ा	MOLAHERA
16.	खेड़की वीरभान	KHERKI VEERBHAN
17.	टापरी	TAPRI
18.	खेड़ा निहालपुरा	KHERA NIHALPURA
19.	सरूण्ड	SAROOND
20.	भोजावास	BHOJAWAS
21.	जगदीशपुरा	JAGDISHPURA
22.	चानचकी	CHANCHAKI
23.	श्यामनगर	SHYAMNAGAR
24.	बासड़ी	BASRI
25.	बड़ाबास	BARABAS
26.	चतुर्भुज	CHATURBHUI
27.	बालावास	BALAWAS
28.	सुन्दरपुरा	SUNDARPURA
29.	फतेहपुरा कलां	FATEHPURA KALAN
30.	कीरतपुरा	KIRATPURA
31.	कांसली	KANSALI
32.	राहेड़ा	RAHERA
33.	पूतली	POOTLI
34.	अमाई	AMAI
35.	बुचाहेड़ा	BUCHAHERA
36.	बामनवास	BAMANWAS
37.	गोपीपुरा	GOPIPURA
38.	नांगल पंडितपुरा	ANGAL PANDITPURA

39.	खुर्दी	KHURDI
40.	कल्याणपुरा खुर्द	KALYANPURA KHURD
41.	मोहनपुरा	MOHANPURA
42.	महरमपुरा राजपूत	MAHRAMPURA RAJPUT
43.	कंवरपुरा	KANWARPURA
44.	गोरधनपुरा	GORDHANPURA
45.	भालोजी	BHALOJI
46.	बसई	BASSAI

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, कोटपूतली—बहरोड।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर।
9. आयुक्त, नगर परिषद, कोटपूतली (जिला— कोटपूतली—बहरोड)।
10. सहायक निदेशक/प्रौग्रामर, नविवि को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं तत्पश्चात् गजट प्रकाशन की कॉपी विधानसभा शाखा को विधानसभा की पटल पर रखने हेतु भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव—प्रथम